

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठारीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 05 / 2023

राज्य सरकार जरिये श्री संदीप गौड, प्रवर्तन अधिकारी श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री हरीश कुमार पुत्र श्री जयकिशन निवासी वार्ड नम्बर 06, एसबीआई बैंक के पास, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. पंजाबी तड़का, धानमण्डी रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए आवश्यक के तहत जब्तशुदा सामग्री 2 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर, मय 5.80 किलोग्राम एलपीजी गैस, को राजसात करने बाबत।
उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी श्री नरेश कुमार अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 12.07.2024

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक कार्य में उपयोग किये जाने की जांच अभियान दौरान प्रवर्तन स्टाफ जिला रसद कार्यालय श्रीगंगानगर दिनांक 19.04.2023 को फर्म पंजाबी तड़का, धानमण्डी रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे। जांच के दौरान फर्म पंजाबी तड़का, धानमण्डी रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर हरीश कुमार पुत्र श्री जयकिशन मौके पर उपस्थित मिले तथा स्वयं को उक्त प्रतिष्ठान का मालिक बताया। श्री हरीश कुमार पुत्र श्री जयकिशन की उपस्थिति में फर्म पंजाबी तड़का, धानमण्डी रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की जांच की गई। जांच में पाया कि प्रतिष्ठान में अड़े से आमलेट बनाने का व्यवसायिक कार्य किया जाता है तथा इस कार्य के लिए प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर फर्म पंजाबी तड़का, धानमण्डी रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर में 02 घरेलू गैस सिलेण्डर चूल्हा/ भट्टी/बर्नर से गैस पाईप लाईन के जरिये जुड़े पाये गये। 1 गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी का व दूसरा गैस सिलेण्डर इंडेन गैस कम्पनी का पाया गया। श्री हरीश कुमार पुत्र श्री जयकिशन ने घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा अड़े से आमलेट बनाने, व्यवसायिक कार्य में उपयोग किया जाना बताया। श्री हरीश कुमार पुत्र श्री जयकिशन द्वारा उक्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर कहां से प्राप्त किये है पूछने पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया तथा उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री हरीश कुमार पुत्र श्री जयकिशन के पास नहीं मिला। फर्म पंजाबी तड़का, धानमण्डी रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों को जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं रिद्धि रिद्धि गैस एजेन्सी पदमपुर के के संचालक मनीष कुमार बिश्नाई पुत्र श्री सतपाल



अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

विशनाई उम्र 32 वर्ष , निवासी 26 बी बी तहसील पदमपुर को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा से तैयार किया गया।

उपर्युक्त जांच में यह स्पष्ट है कि श्री हरीश कुमार पुत्र श्री जयकिशन द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यवसायिक कार्य किया जा रहा था। श्री हरीश कुमार पुत्र श्री जयकिशन फर्म पंजाबी तड़का, धानमण्डी रोड तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर व्यवसायिक का उक्त कृत्य LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से जब्त 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 5.80 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश फरमावे।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं। अप्रार्थी के नोटिस की तामील पर पुलिस थाना पदमपुर की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी हरीश कुमार पुत्र श्री जयकिशन को देकर स्वयं से तामील करवाई गई व तारीख पेशी पर हाजिर आने के लिए पाबन्द किया।। मूल नोटिस बाद तामील सेवा में पेश है। अप्रार्थी स्वयं द्वारा तामील होने के बावजूद आज दिनांक तक उपस्थित नहीं है।

राजकीय पैरोकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि दिनांक 19.04.2023 को फर्म पंजाबी तड़का, धानमण्डी रोड तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे। जांच के दौरान फर्म पंजाबी तड़का, धानमण्डी रोड तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर हरीश कुमार पुत्र श्री जयकिशन मौके पर उपस्थित मिले तथा स्वयं को उक्त प्रतिष्ठान का मालिक बताया। श्री हरीश कुमार पुत्र श्री जयकिशन की उपस्थिति में फर्म पंजाबी तड़का, धानमण्डी रोड तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की जांच की गई। जांच में पाया कि प्रतिष्ठान में अंडे से आमलेट बनाने का व्यवसायिक कार्य किया जाता है तथा इस कार्य के लिए प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर फर्म पंजाबी तड़का, धानमण्डी रोड तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर में 02 घरेलू गैस सिलेण्डर चूल्हा/ भट्टी/बर्नर से गैस पाईप लाईन के जरिये जुड़े पाये गये। 1 गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी का व दूसरा गैस सिलेण्डर इंडेन गैस कम्पनी का पाया गया। श्री हरीश कुमार पुत्र श्री जयकिशन ने घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा अंडे से आमलेट बनाने, व्यवसायिक कार्य में उपयोग किया जाना बताया। श्री हरीश कुमार पुत्र श्री जयकिशन द्वारा उक्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर कहां से प्राप्त किये है पूछने पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया तथा उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री हरीश कुमार पुत्र श्री जयकिशन के पास नहीं मिला। श्री हरीश कुमार पुत्र श्री जयकिशन द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यवसायिक कार्य किया जा रहा था। श्री हरीश कुमार पुत्र श्री जयकिशन फर्म पंजाबी तड़का, धानमण्डी रोड तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, के द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर व्यवसायिक का उक्त कृत्य LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया है।



अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)


अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जवा 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 5.80 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश फरमावे।

बहरा पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक कार्य में उपयोग किये जाने की जांव अभियान दौरान प्रवर्तन स्टाफ जिला रसद कार्यालय श्रीगंगानगर दिनांक 19.04.2023 को फर्म पंजाबी तड़का, धानमण्डी रोड तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे। जांव के दौरान फर्म पंजाबी तड़का, धानमण्डी रोड तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर हरीश कुमार पुत्र श्री जयकिशन मौके पर उपस्थित गिरे तथा स्वयं को उक्त प्रतिष्ठान का मालिक बताया। श्री हरीश कुमार पुत्र श्री जयकिशन की उपस्थिति में फर्म पंजाबी तड़का, धानमण्डी रोड तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की जांव की गई। जांव में पाया कि प्रतिष्ठान में अडे से आगलेट बनाने का व्यवसायिक कार्य किया जाता है तथा इस कार्य के लिए प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर फर्म पंजाबी तड़का, धानमण्डी रोड तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर में 02 घरेलू गैस सिलेण्डर चूल्हा/ भट्टी/बर्नर से गैस पाईप लाईन के जरिये जुड़े पाये गये। 1 गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी का व दूसरा गैस सिलेण्डर इंडेन गैस कम्पनी का पाया गया। श्री हरीश कुमार पुत्र श्री जयकिशन ने घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा अडे से आगलेट बनाने, व्यवसायिक कार्य में उपयोग किया जाना बताया। श्री हरीश कुमार पुत्र श्री जयकिशन द्वारा उक्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर कहां से प्राप्त किये है पूछने पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया तथा उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री हरीश कुमार पुत्र श्री जयकिशन के पास नहीं मिला। फर्म पंजाबी तड़का, धानमण्डी रोड तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों को जरिये फर्द जक्ती जप्त किये गये एवं रिद्धि सिद्धि गैस एजेन्सी पदमपुर के के संवालक मनीष कुमार बिश्नाई पुत्र श्री सतपाल बिश्नाई उम्र 32 वर्ष , निवासी 26 बी वी तहसील पदमपुर को सुपुर्द किया।

इस प्रकार श्री हरीश कुमार पुत्र श्री जयकिशन द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यवसायिक कार्य किया जा रहा था। श्री हरीश कुमार पुत्र श्री जयकिशन फर्म पंजाबी तड़का, धानमण्डी रोड तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, के द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर व्यवसायिक का उक्त कृत्य LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जवा 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 5.80 किलोग्राम गैस को राजसात किया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्री गंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सारे इजलास सुनाया गया



(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
अति० जिला मजिस्ट्रेट
अति (प्रशासन), श्रीगंगानगर
(राजसात)